INDIA NON JUDICIAL

IN-UP47931481587088X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature........ MAK
ACC Name-MOHD. AZHAR KHAN
ACC Code-UP14121904
ACC Address-Kerakat, Jaunpur
Licence No. 320
Tahsil & Dist.-Kerakat, Jaunpur (U.P.)
Mobile No.-9795447029

IV 28/2025

Certificate No.	:	IN-UP47931481587088X
Certificate Issued Date	:	20-May-2025 02:57 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14121904/ JAUNPUR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14121904933197793767730X
Purchased by	:	RAJ I S TRUST BY M HARENDRA YADAV SO RAMJEET
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAJ I S TRUST BY M HARENDRA YADAV SO RAMJEET
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAJ I S TRUST BY M HARENDRA YADAV SO RAMJEET
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	400 (Four Hundred only)

E Stamp Locked
Sub Register
Kerakat, Jaunpur

Please write or type below this line

Harendra Yadav

Statutory Alert:
The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हरेन्द्र यादव

Sd. Ashok Kumar Yadav 20/5/2025
(Advocate)
Reg.No.: UP16073/10

न्याय विलेख (Instrument of Trust)

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट, बरडीहा, डोभी, जौनपुर।

यह न्यास अभिलेख आज दिनांक 20.05.2025 को ट्रस्ट डीड (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1982 तथा परमार्थिक एवं धार्मिक अधिनियम 1920 के अन्तर्गत) को हरेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी ग्राम–सतमेसरा, थाना–चन्दवक, परगना व तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश, भारत द्वारा घोषणा किया गया जिनको न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक के पास 5100/–रूपये (पाँच हजार एक सौ रूपये) राशि है। जिसे वह परमार्थ एंव सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज के उत्थान एंव विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के साथ–साथ जन कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट, के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

Harendra Yadav

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी संचालक मण्डल होगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट संस्थापक/मैंनेजिंग ट्रस्टी प्रबन्धक कहा जायेगा, न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋृण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एंव संसाधनो को और बढाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्‌देश्यों में प्रभावी रूप से कार्य कर सके और न्यासकर्ता/संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5100/—रूपये (पाँच हजार एक सौ रूपये) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की गई है।

क्योंकि वर्तमान ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय ग्राम—बरडीहा, परगना व तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर, उत्तर प्रदेश में होगा अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को सुविधा के अनुसार समय—समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्‌देश्यों के पूर्ति क्रमशः स्मृति पत्र एवं नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है। राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट के संचालन हेतु संस्थापक द्वारा रूपया 5100/—रूपये (पाँच हजार एक सौ रूपये) की निधि स्थापित की गयी जो ट्रस्ट के फण्ड के रूप में ट्रस्ट के संचालन में प्रयुक्त होगी, ट्रस्ट संचालन निम्न उद्‌देशो व नियमों के अनुरूप किया जायेग।

राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट स्मृति पत्र

1. ट्रस्ट का नाम :राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम— बरडीहा, थाना—चन्दवक, तहसील—केराकत, जनपद—जौनपुर पिन कोड— 222148 उत्तर प्रदेश।
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत तथा भरतीय संस्कृति के अनुरूप समाजिक उत्थान, सांस्कृतिक विकास एवं राष्ट्रीयता विकास हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एंव राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है। किन्तु मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

Harewath Yadav

4. ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट का निम्नलिखित उद्देश्य होगा।

1. समाज में शिक्षा में विकास हेतु एल.के.जी स्तर से प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक माध्यमिक हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट स्नातक, परास्नातक तथा उच्च शिक्षा तकनीकी, शिक्षा से सम्बन्धीत शिक्षण व प्रशिक्षण विद्यालयो (बी0एड0, एम0एड0, बी0टी0सी0, एम0पी0एड0, आई0टी0आई0, पालटेक्नीक, इंजिनियरिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज) संस्कृत विद्यालयो संगीत विद्यालयों एवं उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान रोजगार प्ररक प्रौद्योगिक, विद्यालय आदि की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
2. दिल्ली बोर्ड (सी0बी0सी0, आई0सी0एस0सी0 पैटर्न, यू0पी0बोर्ड) हिन्दी/अंग्रेजी तथा उर्दु माध्यम तथा संस्कृत शिक्षा परिषद की नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समूचित शिक्षा की व्यवस्था करना एंव प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विद्यालयों का संचालन करना।
3. सदाचार एंव अध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करना।
4. समाज के हितों की रक्षा करना, गरीब, असहाय बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना तथा व्यवसाय की व्यवस्था करना तथा मनावाधिकार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना।
5. समाज के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था करना।
6. ग्रामीण क्षेत्रो में लघु उद्योगो की स्थापना करना एवं रख–रखाव करना।
7. ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु विपणन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

Harendra Yadav

8. महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करना।

बोर्ड ऑँफ ट्रस्टीज :

1. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एंव सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑँफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 09 सदस्य होंगे।
2. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये, ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वंय करेगा।
4. यहकि बोर्ड ऑँफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यहकि बोर्ड ऑँफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एंव विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/संचालन मण्डल के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एंव अन्तिम होगा।

Harendra Yadav

आवेदन सं०: 202500986004042

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 28 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री र०इ०स्कू०ट्र०ब०अ०हरेन्द्रया, पुत्र श्री रामजीत यादव

निवासी: सा० सतमेसरा परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि Harendra Yadav

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कन्हैयालाल, पुत्र श्री लालचन्द यादव

निवासी: सा० सतमेसरा परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि कन्हैया लाल यादव

पहचानकर्ता : 2

श्री रमेश यादव, पुत्र श्री कल्पनाथ यादव

निवासी: सा० सतमेसरा परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि रमेशयादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

श्याम बिहारी
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर
20/05/2025

अभिषेक मसीह .
निबंधक लिपिक जौनपुर
20/05/2025

प्रिंट करें

<u>ट्रस्ट संचालक मण्डल</u>

संस्था का नाम–राज इण्टरनेशनल स्कूल ट्रस्ट।

पता– **ग्राम–बरडीहा, डोभी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।**

संरक्षक मण्डल– संरक्षक मण्डल द्वारा हरेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी ग्राम–सतमेसरा, परगना व तहसील–केराकत, जिला–जौनपुर को अध्यक्ष घोषित किया गया।

<u>संरक्षक–</u> रामा देवी पत्नी रामजीत यादव

अध्यक्ष– हरेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव

उपाध्यक्ष– जितेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव

कोषाध्यक्ष– प्रमोद यादव पुत्र रामजीत यादव

महामंत्री– नीलम यादव पत्नी हरेन्द्र यादव

मिडिया प्रभारी– सतेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव

सदस्य– (1) राज यादव पुत्र हरेन्द्र यादव
(2) सोनम यादव पत्नी जितेन्द्र यादव
(3) पूजा यादव पत्नी प्रमोद यादव

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के कार्य के प्रति आस्थावान वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है उसकी सदस्यता निम्नवत होगी–

Harendra Yadav

(अ) आजीवन सदस्य– यह व्यक्ति जो राज इण्टर नेशनल स्कूल ट्रस्ट में आस्था रखता हो तथा अपनी सम्मति संस्था को समर्पित करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

(ब) सामान्य सदस्य– वह व्यक्ति जो राज इण्टर नेशनल स्कूल ट्रस्ट में आस्था रखता होगा तथा प्रतिवर्ष 1000/–रू0 (एक हजार) संस्था में जमा कर रसीद प्राप्त करते रहेंगे।

(सं) विशिष्ट सदस्य– राज इण्टर नेशनल स्कूल ट्रस्ट में आस्था रखने वाला वह व्यक्ति जो संस्था की उन्नति के लिए विशिष्ट योगदान करेगा संस्था के सदस्यों द्वारा विशिष्ट सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(5) **सदस्यता की समाप्ति**– निम्न तथ्यों के आधार पर सदस्यता समाप्त समझी जायेगी–

1. अवधि समाप्ति के तीन माह के अन्दर सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
2. पागल या दिवालिया घोषित हो जाने पर तथा न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य के लिए दण्डित किये जाने परं
3. बिना सूचना लगातार तीन बैठकों में सूचना होने पर भी अनुपस्थित रहने पर तथा संस्था के हित के विपरीत कार्य करने पर।
4. त्यागपत्र देने पर या मृत्यु हो जाने पर

(6) संस्था के अंग– संस्था के दो अंग होंगे–

1. साधारण सभा।
2. कार्यकारिणी समिति।

Harendra yadav

(7) **साधारण सभा–**

(अ) संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम चार के अनुसार साधारण सभा का कार्य किया जायेगा।

(ब) बैठक– साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि– साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को होने पर पुनः नई कार्यकारिणी का चुनाव साधारण सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

(8) **कार्यकारिणी समिति पदाधिकारियो के अधिकार एंव कर्तव्य–** कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के निम्नलिखित अधिकार एंव कर्तव्य होंगे–

(9) **अध्यक्ष–**

1. समिति से सम्बन्धित सभी साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति के बैठको एंव अधिवेशनों की अध्यक्षता करना तथा कार्यकारिणी का संचालन करना।
2. महामंत्री की राय से ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी बैठक को बुलाने हेतु दिनांको का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना तथा नियमानुसार उसे स्थगित करना।
3. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर अपने विवेक एंव निर्णय मत देकर उसका निर्णय करना।

Hareshu Yadav

4. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक कागजातों पर महामंत्री के साथ उसका निरीक्षण करना।

(10) **उपाध्यक्ष–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनकी उपस्थिति में निर्देशानुसार कार्य करना।

(11) **महामन्त्री–**

1. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त चल एंव अचल सम्पत्तियों एंव नियमों की देख–रेख करना तथा उसके रख–रखाव का समुचित प्रबन्ध करना।
2. साधारण सभा व कार्यकारिणी ट्रस्टियों की बैठक को समय–समय पर बुलाना तथा उसकी लिखित सूचना सभी सदस्यों को देना।
3. बैठक में पारित कार्यवाही का लिपिबद्ध करना तथा कायवाही रजिस्टर पर सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।
4. ट्रस्ट का वार्षिक बजट एंव रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे सुरक्षित रखना।
5. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना तथा उससे सम्बन्धित कागजातों पर हस्ताक्षर करना।
6. ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
7. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार मान्य होंगे तथा आवश्यकतानुसार जो कार्यकारिणी द्वारा उन्हे सौंपा जाय।

Harendra Yadav

(12) <u>संयुक्त मन्त्री</u>– महामन्त्री की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) **गणपूर्ति**– संस्था के सभी सदस्यों की संख्या का कम से कम दो तिहाई की उपस्थिति होने पर ही गणपूर्ति मानी जायेगी।

(घ) **वार्षिक अधिवेशन**– महाशिवरात्रि के दिन वार्षिक अधिवेशन नियमानुसार मनाया जायेगा।

(न) <u>साधारण सभा के अधिकार एंव कर्तव्य</u>–

1. वार्षिक बैठक में विगत वर्ष का लेखा प्रस्तुत करना एंव उसका अनुमोदन करना।
2. आगामी वर्ष के कार्यक्रम एंव बजट का निर्धारण।
3. संस्था के हित के अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण।
4. निर्धारित समय पर कार्यकारिणी समिति का चुनाव कराना।

(8) <u>कार्यकारिणी समिति</u>–

(अ) गठन– कार्याकरिणी समिति का गठन साधारण सभा के बहुमत से किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री सहमंत्री व कोषाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे।

(ब) बैंठकें– कार्यकारिणी समिति की बैठक साल में दो बार तथा आवश्यकता होने पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि– कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक की लिखित सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व तथा आवश्यकता बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

Harendra yadav

आवेदन सं०: 202500986004042

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 63 के पृष्ठ 63 से 90 तक क्रमांक 28 पर दिनाँक 20/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम बिहारी
उप निबंधक : केराकत
जौनपुर
20/05/2025

प्रिंट करें